`15`

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :शिविरा–मा/सी–5/स्थानांतरण/भूगोल/2020–21/1–504 दिनांक– 04.01.2021 के तहत् अंकिता शर्मा व्याख्याता, भूगोल राउमावि बलदेवगढ, (216435) अलवर का स्थानांतरण राउमावि. पाटन मेवां (216335) अलवर किया गया।

उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्व अंकिता शर्मा द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 1826/21 अंकिता शर्मा, बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई। एवं मंजु यादव व्याख्याता भूगोल राउमावि. बीघोता राजगढ अलवर द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 1827/21 मंजु यादव, बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई। उक्त अपील में माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 07/04/2021 में अपीलार्थीयों को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपील के आधार पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एंव प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन को विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना याचिकार्थी को देने के आदेश पारित किये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में अपीलार्थीयों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की विषम पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अंकिता शर्मा द्वारा अपना पदस्थापन राउमावि. बीघोता राजगढ अलवर एवं मंजु यादव द्वारा राउमावि. पाटन मेवां अलवर में व्याख्याता भूगोल के पद पर पारस्परिक स्थानांतरण किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में अपीलार्थीयों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गहनता से विचार एवं मनन किया गया। अतः अपीलार्थीयों की प्रतिकुल परिस्थिति को देखते हुए अंकिता शर्मा का समायोजन राउमावि. बीघोता राजगढ अलवर एवं मंजु यादव का समायोजन राउमावि. पाटन मेवां अलवर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/अंकिता/1826, मंजु 1827/21/अभ्यावेदन/20–21 दिनांकः– 16/07/2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
03. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को सूचनार्थ।
04. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
05. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
06. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
07. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)

abhyavedan